

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्र. 2279 / तक / रा.रा.-45 /

बिलासपुर, दिनांक 7/7/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमंडल, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- रा.रा. क्र.-45 (विस्तारित) "केंवची-रतनपुर" मार्ग लंबाई 80.00 के 4/2 लेन मार्ग का उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य कॉरीडोर योजना के अंतर्गत प्रभावित वन क्षेत्र का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग से संबंधित प्रकरण में पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान बाबत।

====00====

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग से संबंधित प्रकरण में भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार के विभाग/उपक्रम हेतु पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार करने का लेख किया गया था :-

01. 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि की मांग से संबंधित प्रत्येक प्रकरण पर पंजीयन शुल्क रुपये 6,000/- निर्धारित किया है।
02. 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि की मांग से संबंधित प्रत्येक प्रकरण पर प्रसंस्करण शुल्क 40.1 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि के लिये रुपये 29,000/- निर्धारित किया है।

उक्त के तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा उल्लेखित परियोजना हेतु 28.811 हेक्टेयर वानिकी भूमि का गैर वानिकी भूमि के रूप में उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक प्रकरण पर पंजीयन शुल्क रुपये 6000/- का भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 604788 दिनांक 06.07.2021 एवं प्रत्येक प्रकरण पर प्रसंस्करण शुल्क 40.1 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि के लिये रुपये 29,000/- का भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 604789 दिनांक 06.07.2021 के माध्यम से डीवीजनल फारेस्ट ऑफिसर बिलासपुर को भुगतान हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
02 नग डिमांड ड्राफ्ट

पृ.क्र. 2279 / तक / रा.रा.-45 /
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, पेंशन बाड़ा, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

सहपत्र :- शून्य

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्र. 2269 / तक / रा.रा.-45 /

बिलासपुर, दिनांक 7 / 7 / 2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमंडल, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- रा.रा. क्र.-45 (विस्तारित) "केंवची-रतनपुर" मार्ग लंबाई 80.00 के 4/2 लेन मार्ग का उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य कॉरीडोर योजना के अंतर्गत प्रभावित वन क्षेत्र का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग से संबंधित प्रकरण में पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान बाबत।

===00===

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग से संबंधित प्रकरण में भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार के विभाग/उपक्रम हेतु पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार करने का लेख किया गया था :-

01. 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि की मांग से संबंधित प्रत्येक प्रकरण पर पंजीयन शुल्क रुपये 6,000/- निर्धारित किया है।
02. 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि की मांग से संबंधित प्रत्येक प्रकरण पर प्रसंस्करण शुल्क 40.1 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि के लिये रुपये 29,000/- निर्धारित किया है।

उक्त के तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा उल्लेखित परियोजना हेतु 28.811 हेक्टेयर वानिकी भूमि का गैर वानिकी भूमि के रूप में उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक प्रकरण पर पंजीयन शुल्क रुपये 6000/- का भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 604788 दिनांक 06.07.2021 एवं प्रत्येक प्रकरण पर प्रसंस्करण शुल्क 40.1 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि के लिये रुपये 29,000/- का भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 604789 दिनांक 06.07.2021 के माध्यम से डीवीजनल फारेस्ट ऑफिसर बिलासपुर को भुगतान हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
02 नग डिमांड ड्राफ्ट

[Signature]
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
बिलासपुर (छ.ग.)
[Signature]
बिलासपुर, दिनांक / / 2021

पृ.क्र...../तक/रा.रा.-45/

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, पेंशन बाड़ा, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

सहपत्र :- शून्य

[Signature]
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Issuing Branch COLLECTORATE (BILASPUR)
कॉड नं./CODE No: 04571
Tel No: 07752-508926

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

Key: VOJGDP
Sr. No: 84027

0 6 0 7 2 0 2 1
D B M M Y Y Y

PAY DIVISIONAL OFFICER, P.F. & P.H.R. (B)

को या जगह आदेश पर

OR ORDER

रुपये RUPEES

Six Thousand Only

अदा करें

₹ 6000.00

IOI 000503604788
Name of Applicant

Key: VOJGDP Sr. No: 84027
CHHATISHGARH STATE GOVT GEN AC

AMOUNT BELOW 6001 (3/4)

हून भारतीय स्टेट बैंक
FOR STATE BANK OF INDIA

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000- एवं अधिक के लिखन दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

V.A. MENON
17789

॥ 604788 ॥ 00000 2000 ॥ 000503 ॥ १6

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Issuing Branch COLLECTORATE (BILASPUR)
कॉड नं./CODE No: 04571
Tel No: 07752-508926

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

Key: PIBM4Q
Sr. No: 879767

0 6 0 7 2 0 2 1
D B M M Y Y Y

PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER

को या जगह आदेश पर

OR ORDER

रुपये RUPEES

Twenty Nine Thousand Only

अदा करें

₹ 29000.00

IOI 000503604789
Name of Applicant

Key: PIBM4Q Sr. No: 879767
CHHATISHGARH STATE GOVT GEN AC

AMOUNT BELOW 29001 (3/5)

हून भारतीय स्टेट बैंक
FOR STATE BANK OF INDIA

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000- एवं अधिक के लिखन दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

V.A. MENON
17789

॥ 604789 ॥ 00000 2000 ॥ 000503 ॥ १6